टिप्पणी एवं आदेश

(1)

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) / महाप्रबन्धक (औ0सं0)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में उ0प्र0 शासन की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 लागू है। अवगत कराना है कि उक्त नियमावली में आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन किये गये हैं तथा विभिन्न विषयों पर आदेश निर्गत किये गये है। मुख्यालय एवं डिस्काम/क्षेत्रीय कार्यालयों से मृतक आश्रित सेवायोजन के सम्बन्ध में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु प्रकरण प्राप्त होते है जिसका कारण कारपोरेशन द्वारा जारी आदेशों की जानकारी न होना है।

अतः मृतक आश्रित सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा दिनांक 30.06.1976 से दिनांक 10.07.2014 तक जारी ऐसे आदेशों की सूची निम्नवत् दी जा रही है जो कि वर्तमान में प्रभावी एवं प्रासंगिक हैं :-

क0 सं0	आदेश सं0	दिनांक	मृतक आश्रित सेवायोजन के सम्बन्ध में राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश।
1.	212	30.06.1976	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975
2.	1235 645/29/10/2000	06.04.1978	नियमावली संशोधन एवं मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप। अधिष्ठान
3.	5357	16.07.1981	दत्तक पुत्र/पुत्री को मृतक आश्रित में शामिल किये जाने विषयक।
4.	5614	06.01.1993	20.06.1974 से पूर्व के प्रकरणों में अध्यक्ष के अधिकार समाप्त किये गये।
5.	251	30.08.1993	मुख्य अभियन्ता को नियुक्ति अनुमोदन हेतु अधिकृत।
6.	21	22.01.1998	नियमावली संशोधन-05 वर्ष समय सीमा एवं अवर अभियन्ता से निम्नतर पद सेवायोजन दिये जाने की विज्ञप्ति।
7.	3369	06.08.1999	अधिसंख्य पद (Supernumary post) के विरूद्ध रिक्त पद न होने पर नियुक्ति प्रदान करना।
8.	3880	22.12.2000	मात्र 03 पद (श्रमिक, टी0जी0-2, कार्यालय सहायक-तृतीय) पर नियुक्ति।
9.	4222	13.11.2002	टी0जी0-2 हेतु 02 वर्ष अनुभव शिथिल परिवीक्षा पर नियुक्ति की व्यवस्था।
10.	2797	06.06.2003	महिला मृतक आश्रित की चपरासी पर नियुक्ति
11.	3017	26.06.2003	लापता श्रमिक की सक्षम न्यायालय द्वारा सिविल डेथ घोषित होने से 05 वर्ष की समयसीमा का निर्धारण।
12.	17	23.02.2007	मृतक आश्रित की श्रमिक पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण की शर्त से शिथिलता।
13.	139	11.09.2007	टी0जी0-02 पद पर अभियन्त्रण डिग्री/डिप्लोमाधारी मृतक आश्रित की नियुक्ति।
14.	1623	22.04.2008	मृतक आश्रित कार्यालय सहायक-3 पर नियुक्ति हेतु टंकण एवं ओ लेविल कम्प्यूटर अर्हता पूर्ण करने हेतु 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि।
15.	3793	08.10.2009	मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु टैक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) से विद्युत शब्द विलोपित करते हुये केवल टैक्नीशियन ग्रेड-2 किया गया।
16.	4327	25.11.2009	प्रशासनिक कार्यालय (प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता एवं लेखा कार्यालय) में मृतक आश्रित पुरूष अभ्यर्थी का चपरासी पद पर नियुक्ति।
17.	2018	05.12.2012	मृतक सेवक के कुटुम्ब की व्याख्या।
18.	2104	11.07.2013	कार्यालय सहायक-तृतीय पद पर स्नातक के अन्तर्गत बी0ए, बी0काम, बी0एस0सी0, बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, बी0ई0, बी0टेक अर्हता सम्मिलित।
19.	686	28.02.2014	मृतक आश्रित की नियुक्ति (सामान्य मामलो मे) के सम्बन्ध में उ0प्र0 जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार 90 दिवसों में निर्णय लिये जाने विषयक।
20.	101	10.07.2014	कारपोरेशन मुख्यालय संवर्ग के कार्मिकों हेतु कम्प्यूटर सहायक के पद पर मृतक आश्रित नियुक्त विषयक।

अ प्रस्तावित है कि उक्त समस्त आदेश कारपोरेशन की वेबसाइट पर "मृतक आश्रित नियमावली शीर्षक" से एक आइकॉन बनाकर उसपर अपलोड कर दिये जाये ताकि कारपोरेशन के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को मृतक आश्रित सेवायोजन सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में कोई असुविधा न हो तथा अभिमत प्राप्त करने में अनावश्यक समय बर्बाद न हो एवं मृतक आश्रित को शीघ्रता से सेवायोजन प्राप्त हो सके।

विचारार्थ प्रस्तुत।

Navneet Mathur 18.7.14

(नवनीत माथुर)

कार्मिक अधिकारी

कृपया उक्त 'अ' के प्रस्ताव से सहमत होते हुये

2793

(2)

पृष्ठ 2

टिप्पणी एवं आदेश

उ.प्र.पा.का.लि.

निदेशक (वि.प्र.) महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना प्रस्तावित है।

18.7.14

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)

कृपया प्रस्तर पृष्ठ सं0-01 के [illegible] का अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

19.7.14
महाप्रबन्धक (औ०सं०)
उ०प्र०पा०का०लि०

निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.)

प्रशंसनीय कार्य।

21/7

(राधे मोहन)
निदेशक [illegible]

उ.म.प्र. (औ.सं.)

23/7/14.

2

लखनऊ

(7)

संख्या: 1235-जीई(2)/रा०वि०प०-3(17)जी०ई(2)/1976.   दि०:अप्रैल 6, 78.

अधिसूचना

=======

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975, जो परिषदीय विज्ञप्ति संख्या 212 जी०एम०/रा०वि०प०-3(15)जी०एम०/74, दिनांक 30जून, 1976, द्वारा प्रकाशित हुई, के अनुच्छेद 3,5,10 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं।

परिषदीय आदेश सं० 212-जी०एम०/रा०वि०प०-3-15जी०एम०/74(दि० 30.6.76 द्वारा जारी नियमावली स्तम्भ।	संशोधित स्तम्भ
3- नियमावली का लागू किया जाना-यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत जूनियर इंजीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे पदों पर ही लागू होगी।	3- नियमावली का लागू किया जाना- यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत समस्त ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु लागू होगी, जिन पर सीधी भरती की जाती है।
5- मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भरती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में (जूनियर इंजीनियर तथा उसके समकक्ष के नीचे के पदों पर) सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्ति उसी इकाई में दी जानी चाहिए जिसमें मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।	5- मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भरती- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवा काल में ऐसे एक सदस्य की मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, भरती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में सेवायोजन प्रदान किया जाएगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो।
10- राज्य सरकार अथवा परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एक मात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ	10- परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या

क्रमशः---------2.

कोई ऐसा आदेश या विकल्प आदेश [illegible] [illegible] उचित व्यवहार [illegible] लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।	[illegible] उचित व्यवहार [illegible] लोकहित आवश्यक या समीचीन समझे ।

यह संशोधित [illegible] मृतक परिषदीय कर्मचारी की पत्नी, पुत्र/पुत्री, को कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से छः माह तक ही ग्राह्य होगी ।

ह0 (राजेन्द्र नाथ भार्गव)
सदस्य सचिव।

सं0: 1235(1)बी0ई0(2)/रा0वि0प0/78 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशित करवा दें ।

आज्ञा से,
ह0 : सुरेश चन्द्र रस्तोगी,
उप सचिव

संख्या: 1235(2)बी0ई0(2)/रा0वि0प0/78 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को परिषद के पृष्ठ0 [illegible] ई0एम0/रा0वि0प0-तीन-15बी0एम0/74, दिनांक 30 जून, 1976 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
2- जनरल मैनेजर, कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन, [illegible], कानपुर ।
3- मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
4- समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
5- समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
6- जनरल मैनेजर, एवं मुख्य अभियन्ता, ओबरा तापीय एवं जल-विद्युत गृह, ओबरा।
7- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (परिचालन एवं रख-रखाव) ओबरा तापीय विद्युत गृह, ओबरा, जनपद-मिर्जापुर ।
8- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
10- समस्त रीजनल प्रोजेक्टस एकाउन्टस आफिसर, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
11- जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
12- परिषद मुख्यालय के समस्त अनुभाग ।
13- जनरल मैनेजर एवं मुख्य अभियन्ता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, देहरादून ।
14- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
15- समस्त वैयक्तिक सहायक, परिषद मुख्यालय ।

आज्ञा से,
ह0: सुरेश चन्द्र रस्तोगी,
उप सचिव

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]
20/5/80

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
5 वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ।

संख्या: 645-औ०स०/पा०का०लि०/2000-27एफ/80 दिनांक 29-3-2000

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सम्यक विचारोपरान्त पूर्व वर्ती परिषदीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-251-विधि-23/रा.वि.प.-93-7 विधि/92 दिनांक 30 अगस्त 1993 के प्रस्तर 2 (i) में निहित आदेशों को अतिक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्णय है कि :-

1. मृतकाश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नियुक्ति अधिकारी प्राप्त आवेदन के तथ्यों की जाँच कर इस तथ्य की पुष्टि करने के उपरान्त, कि आवेदक उ०प्र०रा०वि०प० सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली 1975 के नियम-7 के अनुसार जिस पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक है उसके लिए वह पूर्ण रूपेण उपयुक्त है तथा नियमावली के नियम-8 के अन्तर्गत अभ्यर्थी कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने में सक्षम है, प्रकरण उचित माध्यम से मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को सन्दर्भित करेंगे जो उक्त प्रकरण के प्राप्त होने पर उसका परीक्षण करेंगे कि संबंधित मृतक आश्रित उस पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता है तथा वह अन्य प्रकार से भी कारपोरेशन की सेवा के लिए अर्ह है आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्तुति के साथ उक्त प्रकरण को महाप्रबन्धक (औ०स०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ को सन्दर्भित करेंगे।
2. महाप्रबन्धक (औ०स०), मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) से प्राप्त प्रकरणों पर निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन) का अनुमोदन प्राप्त कर मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को सूचित करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित नियुक्ति अधिकारी तदनुसार नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे।
3. ऐसी नियुक्ति उसी इकाई में की जायेगी जिस इकाई में मृतक कर्मचारी मृत्यु से पूर्व कार्यरत था। इस संबंध में पूर्ववर्ती परिषदीय अधिसूचना संख्या-1235-जीई (2)-रा.वि.प.-3(17)जीई(2)/1976 दिनांक 6-4-1978 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1975 एवं समय-2 पर यथासंशोधित नियम/आदेश यथावत लागू रहेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 645 /पा0का0लि0/2000 दिनांकः 29-3-2000

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. माननीय ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव ।
2. माननीय राज्य ऊर्जा मंत्रीगण, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/पश्चिमांचल-मेरठ/उत्तरांचल-देहरादून, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (पारेषण)/लेखा/विद्युत सेवा आयोग/जाँच समितियाँ/भण्डार प्रबन्ध/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ।
6. समस्त महाप्रबन्धक, वितरण/पारेषण/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ।
7. समस्त उप-महाप्रबन्धक, वितरण/पारेषण/लेखा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ।
9. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारी गण/[illegible]/अनुभाग ।

आज्ञा से

([illegible] पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्ध)

(9)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद,
"शक्ति भवन" 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या: 5357-डब्लूसी/राविप(औस-उन्नीस)81-25-एफ/81 दिनांक 16 जुलाई, 1981.

कार्यालय-ज्ञाप

परिषद के समक्ष अभी हाल में एक मामला ऐसा आया है जिसमें मृत परिषदीय कर्मचारी सन्तानहीन था तथा उसके दत्तक पुत्र ने "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975" के अन्तर्गत बहैसियत आश्रित परिषदीय सेवायोजन प्रदान किये जाने का आवेदन किया गया था। इस सम्बन्ध में परिषद को यह परामर्श दी गई कि चूंकि हिन्दू विधि में दत्तक ग्रहण करने की मान्यता दी गई है इस लिये उक्त नियमावली में जहां कहीं भी "पुत्र" शब्द का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य केवल हिन्दू कर्मचारियों के मामलों में दत्तक पुत्र से भी होगा।

मुख्य अभियन्ता (कार्मिक)

संख्या: 5357-एक/डब्लूसी/राविप/एएस0-19/81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
2- समस्त महा प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
3- मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
4- समस्त मुख्य क्षेत्रीय, अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
5- समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
6- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
7- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
8- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी/सहायक कार्मिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद।
9- समस्त रीजनल/प्रोजेक्ट एकाउन्टस आफिसर, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
10- जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लखनऊ।
11- परिषद मुख्यालय के समस्त अनुभाग/प्रशासन एवं लेखा।
12- समस्त वैयक्तिक सहायक, परिषद मुख्यालय।

सत्य प्रतिलिपि
[signature]
9.1.87

आज्ञा से,

ह0 हरिपाल सिंह
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक)

9

"शक्ति भवन", 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या-5614-डब्लू0सी0/राविप(अ0सं0-उन्नीस)92-27-एफ/80 दिनांक 6.1.199 दिसम्बर, 1992.

(9)

अधिसूचना

(10)

परिषदीय अधिसूचना संख्या-296-एफ/राविप(एएसं0-19)81-27-एफ/80, दिनांक 8.4.81 के नियम-2 द्वारा परिषद के अध्यक्ष महोदय को "उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975" के प्राविधानों से अनाच्छादित मामलों में शिथिलीकरण हेतु विशेष अधिकार प्रदान किया गया था ।

प्रश्नगत नियमावली दिनांक 20 जून, 1974 से प्रभावी है तथा इसका प्रयोजन यह था कि मृतक के परिवार को तात्कालिक सहायता पहुंचाने हेतु उसके एक आश्रित को परिषदीय सेवायोजन प्रदान किया जाये । चूंकि दिनांक 20.6.74 से पूर्व के मामलों में अब निर्णय लेने का कोई औचित्य नहीं है अतः परिषद एतदद्वारा उक्त नियम-2. के द्वारा अध्यक्ष महोदय को प्रदत्त विशेष अधिकार को निरस्त करता है ।

अतएव एतदद्वारा यह स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत नियमावली के अन्तर्गत दिनांक 20.6.74 के पूर्व का कोई भी मामला किसी भी स्तर से निस्तारित नहीं किया जायेगा ।

परिषद की आज्ञा से,
सचिव ।

संख्या-5614(एक)डब्लू0सी0/राविप(अ0सं0-उन्नीस)92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करवा दें ।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(अरुण कुमार वशिष्ठ)
सचिव ।

संख्या-5614(दो)डब्लू0सी0/राविप(अ0सं0-उन्नीस)92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
2. समस्त महा प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
3. समस्त मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
4. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
8. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
9. वरिष्ठ औद्योगिक सम्बन्ध अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
10. उप-सचिव (जन सम्पर्क), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
11. परिषद (मुख्यालय) के समस्त अनुभाग/निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक (प्रशासनिक एवं लेखा-स्कन्ध) ।
12. अनु-सचिव (रेगुलेशन)/(बी0ओ0जे0), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(एल0आर0 जाटव)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन" 14-अशोक मार्ग
लखनऊ।

संख्या: 212-सी०एम०/रा०वि०प०-3-15सी०एम/74 दिनांक: जून 30, 1976

अधिसूचना

विद्युत (सम्पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79(सी) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:- 1- यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 कहलायेगी।
   2- यह 20 जून, 1974 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
2. परिभाषाएं:- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
   क= "परिषदीय सेवक" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे परिषदीय सेवक से है जो--
   1- ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या
   2- यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, या
   3- यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।
   स्पष्टीकरण - "नियमित रूप से नियुक्त" का तात्पर्य, यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।
   ख= "मृत परिषदीय सेवक", का तात्पर्य ऐसे परिषदीय सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाए,
   ग= "कुटुम्ब" के अंतर्गत मृत परिषदीय सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:
   1: पत्नी या पति
   2: पुत्र
   3: अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।
   घ= "कार्यालय का प्रधान" का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3. नियमावली का लागू किया जाना— यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत ...यर इंजीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों पर ही लागू होगी ।

4. इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव— इस नियमावली के प्रारंभ के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा ।

5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती यदि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवा-काल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में जूनियर इंजीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह सदस्य उस पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो । ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथासंभव उसी इकाई में दी जानी चाहिए जिसमें मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था ।

6. सेवायोजन के लिए आवेदन-पत्र की विषयवस्तु – इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलषित है, उस पद से संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, जहां मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था । आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जाएगी :-

(क) मृत परिषदीय सेवक की मृत्यु का दिनांक वह इकाई जहां और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था ।
(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्यौरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय संबंधी ब्यौरे,
(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा, और
(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें, यदि कोई हो ।

7. प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों – यदि मृत परिषदीय सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा । समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता—

(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।

(2) चयन के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से, यथालिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद से- पद प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा ।

क्रमशः ——3

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायेगी।

9. सामान्य अर्हताओं के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान—
किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि —

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह परिषदीय सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है,

टिप्पणी:— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जाएंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो तथा इस बात के लिए अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

10—कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति — राज्य सरकार अथवा परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित [illegible]हार या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे।

अवध कुमार गुप्त
सचिव।

संख्या: 2(2)(1)(बी०एम०/रा०वि०प०—सीम—15जी०एम/74.

प्रतिलिपि, अध्यक्ष, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशित करा दें।

आज्ञा से,

(कैलाश नाथ माथुर)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 212(2)सी0एम0/रा0वि0प0-तीन-15जी0एम/74

प्रतिलिपि निम्नलिखित को परिषद के पत्र संख्या 1584-सी0एम0/रा0वि0प0-तीन 15जी0एम/74, दिनांक 20 मई, 1974 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इन नियमों का लाभ परिषद के स समस्त कर्मचारियों को प्राप्त होगा लेकिन नियम 5 के अनुसार आश्रितों की भर्ती जूनियर इन्जीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे पदों पर ही की जायेगी।

1- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
2- जनरल मैनेजर, कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन, केसा हाउस, कानपुर।
3- मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
4- समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
5- समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता)
6- जनरल मैनेजर एवं मुख्य अभियन्ता, ओबरा तापीय एवं जल-विद्युत गृह, ओबरा, जनपद-मिर्जापुर।
7- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (परिचालन एवं रख-रखाव), ओबरा तापीय विद्युत गृह, ओबरा (मिर्जापुर)।
8- समस्त अधीक्षण अभियन्ता) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
9- समस्त अधिशासी अभियन्ता)
10- समस्त रीजनल प्रोजेक्ट्स एकाउंट्स आफिसर, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
11- जन संपर्क अधिकारी, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
12- परिषद मुख्यालय के समस्त अनुभाग।
13- जनरल मैनेजर एवं मुख्य अभियन्ता, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, देहरादून।
14- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
15- समस्त वैयक्तिक सहायक, परिषद मुख्यालय।

आज्ञा से,

(कैलाश नाथ माथुर)
संयुक्त सचिव।

सत्य प्रतिलिपि

20/5/80

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

संख्या-251-विनि-23/राविप-93-7विनि/92 (11) दिनांक : जुलाई 30, 1995

(10)

कार्यालय ज्ञाप

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0-225-विनि-23/राविप-92-4विनि/92, दिनांक 16.12.92 में निहित आदेशों के अतिक्रमण में यह निर्णय लिया है कि :-

(1) राज्य विद्युत परिषद की सेवाओं के राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्गों में प्रारम्भिक नियुक्तियों हेतु सभी चयन विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) राज्य विद्युत परिषद की सेवाओं के सभी संवर्गों में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में चयन/नियुक्ति सक्षम अधिकारी/विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जा रही विद्यमान व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी ।

2. उक्त उप-कडिका (1) में उल्लिखित आदेश सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती से सम्बन्धित प्रकरणों में लागू नहीं होंगे। उनके मामलों का निस्तारण अधोलिखित व्यवस्था के आधीन किया जायेगा ।

(1) सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती सम्बन्धित नियुक्त अधिकारी अपने नियंत्रक मुख्य अभियन्ता से लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही करेंगे ।

(2) समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/महा-प्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक/मुख्य लेखाधिकारी सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती से सम्बन्धित त्रैमासिक विवरण जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल माह की 15 तारीख तक मुख्य कार्मिक अधिकारी, राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगे ।

परिषद की आज्ञा से,

(मार्कण्डेय सिंह)
सचिव

सं0-251(1)विनि-23/राविप-93-7विनि/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सभापति, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-I/II, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
3. महाप्रबन्धक, कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन, उ0प्र0 राज्य विद्युत परि0, कानपुर ।
4. अपर सचिव-I/II/III, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ
5. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
7. मुख्य कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
8. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।

2IA x 5 = 10

(112)

11. परिषद सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. बैठक तालिका की उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद की 1993 की पाँचवी बैठक के मद सं० पार्ट 101.4993 एवं पार्ट 11/9.1993 के क्रम में ।

आज्ञा से,

30/08/93

(डा० रमापति दुबे)
संयुक्त सचिव

(13)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ ।

संख्या: 21 -विनियम-23/रा.विप-98-4विनियम/93 दिनांक: 22 जनवरी 1998

विज्ञप्ति

विविध

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79 (सी) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली - 1975 (परिषदीय अधिसूचना संख्या- 212-जी0एम0/रा.विप-3(15)जी0एम0-74 दिनांक जून 30, 1976 द्वारा अधिसूचित एवं अधिसूचना संख्या- 1235-जी0ई0(2)/रा.विप-3(17)जी0ई0(2)/1976 दिनांक अप्रैल 06, 1978, संख्या- 296-एफ0/रा.विप/ए0एस0-1981-27एफ0/80, दिनांक अप्रैल 08, 1981 एवं संख्या-5614-डब्लू0सी0/रा.विप(औ0सं0-उन्नीस)92-27एफ0/80, दिनांक 06-01-1993 द्वारा संशोधित) में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) विनियम - 1998

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(1) ये विनियम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) विनियम - 1998 कहलायेंगे ।

(2) ये तत्काल प्रभावी होंगे ।

2. विनियमों का प्रतिस्थापन

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती विनियम - 1975 के वर्तमान विनियम 3 एवं 5 जैसा कि निम्न स्तम्भ-I में दिये गये हैं, स्तम्भ-II में दिये गये विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे :-

स्तम्भ-I वर्तमान विनियम	स्तम्भ-II एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
विनियम-3"नियमावली का लागू किया जाना" यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत समस्त ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु लागू होगी, जिन पर सीधी भर्ती की जाती है ।	विनियम-3"नियमावली का लागू किया जाना यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी (अवर अभियंता तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों) एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु लागू होगी, जिन पर सीधी भर्ती की जाती है ।

-------2/-

विनियम-5 "मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती"

यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के एक ऐसे सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये परिषदीय सेवा में सेवायोजन प्रदान किया जायेगा । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो ।

(14)

विनियम-5 "मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती"

यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के एक ऐसे सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में तृतीय श्रेणी (अवर अभियंता तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों) एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य :-

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो ,

(दो) परिषदीय सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो और

(तीन) परिषदीय सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है ।

परन्तु जहां परिषद का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्य-पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।

परिषद की आज्ञा से,

(शरत चन्द्र रस्तोगी)
सचिव

सं0- 21 ॥1॥विनियम-23/राविप-98 तद् दिनांक
===

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त महा प्रबन्धक/मुख्य अभियंता ॥स्तर-1 व 11॥, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
2. समस्त नियंत्रक, लेखा शाखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
3. निदेशक, आन्तरिक लेखा सम्परीक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
4. सभापति, जांच समिति, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
6. सभापति, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
8. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
9. समस्त अधिकारीगण, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
10. समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
11. बैठक सहायक को परिषदीय बैठक दिनांक 13.1.98 के मद सं0- 1॥5॥/1998 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

॥ एस0 पी0 श्रीवास्तव ॥
संयुक्त सचिव

14

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
14- अशोक मार्ग: शक्ति भवन: लखनऊ

संख्या:3369/राविब/औस-17/99-27एफ/80 दिनांक 6.8.1999

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की **भर्ती** नियमावली, 1975 के वर्तमान **नियम 8 के उपनियम (3), जो स्तम्भ एक में** दर्शित है, को संशोधित कर स्तम्भ दो के अनुसार व्यवस्था की जाती है :

स्तम्भ "एक" वर्तमान नियम 8 का उपनियम (3)	स्तम्भ "दो" संशोधित नियम 8 का उपनियम (3)
इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी ।	इस नियमावली के अधीन परिषद में सीधी भर्ती के श्रेणी (तीन) (अवर अभियन्ता व समकक्ष पद को छोड़कर) के निम्नतम पद पर व श्रेणी 4 में कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद (Supernumary Post) के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

सचिव

संख्या3369(1)/राविप-औस-17/99-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (स्तर I व II), उ०प्र०रा०वि०परिषद ।
2. समस्त नियंत्रक, लेखा शाखा, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद ।
3. निदेशक, आन्तरिक लेखा सम्परीक्षा, उ०प्र०रा०वि०परिषद ।
4. मु. अभियन्ता, जांच समिति, उ०प्र०रा०वि०परिषद, लखनऊ ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०रा०वि०परिषद ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०रा०वि०परिषद।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद ।
9. समस्त अधिकारीगण, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ०प्र०रा०वि०परिषद ।
10. समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ०प्र०रा० विद्युत परिषद ।

आज्ञा से,

(एल० आर० जाटव)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

(18)

(15)

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0 4222-औस-17/पाकालि/2002-10(74)ए.इस. 2002 दि013 नवम्बर 2002

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत टैक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 द्वारा निर्धारित अर्हता में दो वर्ष के कार्य अनुभव की अनिवार्यता को उक्त विनियमावली के नियम -45(ii) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन, निम्न प्रकार से एतद्द्वारा शिथिल किया जाता है :-

"यदि मृतक आश्रित टी. जी. ग्रेड-2 (विद्युत) पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अन्य योग्यताएँ रखता है परन्तु दो वर्ष का अनुभव नहीं रखता है तो ऐसे आश्रित को प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर दो वर्ष हेतु नियुक्ति प्रदान कर दी जाए तथा उसके द्वारा सन्तोषजनक कार्यपूर्ण करने पर उसे नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए।"

अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

सं0 4222-1-औस-17/पाकालि/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक महोदय के प्रमुख निजी सचिव
2. निदेशक (पारेषण)/(वितरण)/(वाणिज्य)/(वित्त) एवं (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन) के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक उ0प्र0पाका0लि0
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
5. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पाका0लि0
6. उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय /लेखा शाखा के समस्त अधिकारीगण
7. अनुसचिव (विनियम) उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ
8. कट फाइल।

13/11/02

आज्ञा से,

(एस. आर. जाटव)
महाप्रबन्धक (औस)

6

17

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0 2797-औद-17/पाकालि/2003-27-एफ./80टी.सी.   दिनांक 06 जून 2003

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 3880-औद-17/पाकालि/2000-27 एफ/80 दिनांक 22.12.2000 के अनुक्रम में पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन के सेवा काल में मृत कार्मिकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मृतकाश्रितों की नियुक्ति श्रमिक, टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) एवं कार्यालय सहायक-तृतीय के साथ साथ मात्र महिला आश्रितों (आवेदक) की नियुक्ति चपरासी पद पर भी किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक मण्डल

सं0 2797-1-औद-17/पाकालि/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0शासन के निजी सचिव.
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0शासन, बापू भवन, लखनऊ
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 4-विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/समस्त महाप्रबन्धक उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
7. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि
8. पावर कारपोरेशन मुख्यालय के प्रशासन एवं लेखा स्कन्ध के समस्त अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव.
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्र सं0 85/पाकालि/बैठक 2003 दिनांक 26.5.2003 के संदर्भ में.
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ (20)

सं0 3017-औस-17/पाकालि/2003-10(100)ए. एस. 2002 दिनांक 26 जून 2003

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत कार्मिकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मृतक कार्मिक के आश्रित को मृतकाश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान करने सम्बन्धी आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत करने हेतु पूर्ववर्ती परिषद की विज्ञप्ति सं0 21-विनियम-23/राविप/98 दिनांक 22.1.98 द्वारा अधिकतम समय सीमा कार्मिक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित है। लापता कार्मिकों के प्रकरणों में कतिपय भ्रांतियाँ व्याप्त है, जिसके समाधान हेतु एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि लापता कार्मिक की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में निहित प्राविधानानुसार सक्षम न्यायालय द्वारा सिविल डेथ घोषित करने सम्बन्धी निर्णय निर्गत होने की तिथि से उक्त 5 वर्ष की निर्धारित समय सीमा आगणित की जाए एवं तद्नुसार सेवायोजन सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा पुराने मामले पुनर्उद्घाटित नहीं किए जायेंगे।

अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

सं0 3017-1-औस-17/पाकालि/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0शासन के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव(ऊर्जा) उ0प्र0शासन, लखनऊ
3. मुख्य अभियन्ता(जल विद्युत) उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि
6. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
8. समस्त अनुभाग अधिकारी/ निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि/शक्ति भवन, लखनऊ

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी

7

(22)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन: 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या: ~~118~~ 139/विनियम/पाकालि–2007–5– विनियम /98 दिनांक :11.09.07

कार्यालय ज्ञाप

" उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 " की धारा 45 (11) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेशित किया जाता है कि " उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली, 1975 " के अर्न्तगत यांत्रिक संवर्ग श्रेणी प–4 (तकनीशियन ग्रेड–11) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु वे अभ्यर्थी भी पात्र होगें जो तत्समय लागू सेवा विनियमावली में अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के पदो पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता/अर्हता यथा–अभियंत्रण में डिप्लोमा/डिग्री रखते हो।

2. उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के अन्य प्राविधान यथावत् अपरिवर्तनीय होगें तथा विनियमावली में इंगित अन्य सेवा शर्ते यथावत लागू रहेगी।

अध्यक्ष

पृ0 संख्या: 118(1)/विनियम/पाकालि–2007–5– विनियम /98तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. निजी सचिव, समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
5. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमॉचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/वाराणसी/लखनऊ/आगरा/केस्को, कानपुर।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर 1/11) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. मुख्य अभियन्ता, (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुमाम/सूचना पटट्।

11/9/07

(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)

8

21

U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या 1623 औ0स0/2008–27–एफ/80 दिनांक : 22 अप्रैल, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय :–उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के अन्तर्गत कार्यालय सहायक–तृतीय के पद पर भर्ती के सम्बन्ध में ।

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या–5778–कार्मिक(9)/राविप–258–एनजी–2/76, दिनांक 26.08.81 में यह प्राविधानित है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के अन्तर्गत कार्यालय सहायक–तृतीय के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर इस प्रतिबन्ध के साथ नियुक्ति की जा सकेगी कि सम्बन्धित कार्मिक संगत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता एवम् अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली, 1970 में प्राविधानित टंकण परीक्षा दो वर्ष में उत्तीर्ण कर लेते है । पूर्ववर्ती परिषद की विज्ञप्ति संख्या–531–विनियम–23/राविप–98–7–विनी/88, दिनांक 22.12.98 द्वारा कार्यालय सहायक–3 हेतु "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक तथा टंकण की योग्यता के साथ–साथ कम्प्यूटर भिज्ञता होना चाहिए, प्राविधानित किया गया । उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–135–विनियम/पाकालि/07–5विनियम/98, दिनांक 11.9.2007 द्वारा यह आदेशित किया गया कि दिनांक 18.8.2007 से आगे कारपोरेशन में समूह 'ग' एवम् उच्च संवर्ग के पदों पर जो भी नियुक्तियॉ की जाए उनमें वर्तमान न्यूनतम शैक्षिक अर्हता Department of Electronics द्वारा संचालित Department of Electronics Accredition of Computer Courses (DOEACC) स्कीम के अन्तर्गत 'O' Foundation कोर्स उत्तीर्ण होना अथवा किसी प्रतिष्ठित कम्प्यूटर संस्थान से समकक्ष एक वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति संख्या–531–विनियम –23/राविप–98–7–विनी/98, दिनांक 22.12.98 एवम् कार्यालय ज्ञाप संख्या–135–विनियम–23/पाकालि–07–5 विनियम /98, दिनांक 11.9.07 द्वारा आदेश संख्या–5778

.....2/–

–कार्मिक(9)/राविप/258–एनजी–2/76, दिनांक 26.8.81 अतिक्रमित नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत कार्यालय सहायक–3 के पद पर परिवीक्षा पर उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ उन अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी जो उक्त विज्ञप्ति दिनांक 22.12.98 एवम् कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.9.2007 के अन्तर्गत प्राविधानित टंकण एवम् कम्प्यूटर योग्यता नहीं रखते, कि वे ये योग्यताऐं/अर्हताऐं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्राप्त कर लेते है । सम्बन्धित कार्मिक का स्थाईकरण एवम् उनको वार्षिक वेतन वृद्धि प्रश्नगत टंकण एवम् कम्प्यूटर योग्यता/अर्हता प्राप्त करने के बाद अनुमन्य होगी ।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 1623(1) औस/2008–27–एफ/80–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल,वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा/केस्को, कानपुर ।
3– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2)/मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवम् समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
5– समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
6– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, पूर्वान्चल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल, केस्को एवम् पाकालि ।
7–समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
8– सचिव, विद्युत कर्मचारी पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर, अपार्टमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ।
9– कट फाइल ।

भवदीय,

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

(23) (20)

संख्या 1623 औ0स0/2008–27–एफ/80 दिनांक : 22 अप्रैल, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय :–उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के अन्तर्गत कार्यालय सहायक–तृतीय के पद पर भर्ती के सम्बन्ध में ।

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या–5778–कार्मिक(9)/राविप–258–एनजी–2/76, दिनांक 26.08.81 में यह प्राविधानित है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के अन्तर्गत कार्यालय सहायक–तृतीय के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर इस प्रतिबन्ध के साथ नियुक्ति की जा सकेगी कि सम्बन्धित कार्मिक संगत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता एवम् अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली, 1970 में प्राविधानित टंकण परीक्षा दो वर्ष में उत्तीर्ण कर लेते है । पूर्ववर्ती परिषद की विज्ञप्ति संख्या–531–विनियम–23/राविप–98–7–विनी/88, दिनांक 22.12.98 द्वारा कार्यालय सहायक–3 हेतु "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक तथा टंकण की योग्यता के साथ–साथ कम्प्यूटर भिज्ञता होना चाहिए, प्राविधानित किया गया । उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–135–विनियम/पाकालि/07–5विनियम/98, दिनांक 11.9.2007 द्वारा यह आदेशित किया गया कि दिनांक 18.8.2007 से आगे कारपोरेशन में समूह 'ग' एवम् उच्च संवर्ग के पदों पर जो भी नियुक्तियॉ की जाए उनमें वर्तमान न्यूनतम शैक्षिक अर्हता Department of Electronics द्वारा संचालित Department of Electronics Accredition of Computer Courses (DOEACC) स्कीम के अन्तर्गत 'O' Foundation कोर्स उत्तीर्ण होना अथवा किसी प्रतिष्ठित कम्प्यूटर संस्थान से समकक्ष एक वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति संख्या–531–विनियम–23/राविप–98–7–विनी/98, दिनांक 22.12.98 एवम् कार्यालय ज्ञाप संख्या–135–विनियम–23/पाकालि–07–5 विनियम /98, दिनांक 11.9.07 द्वारा आदेश संख्या–5778

.....2/–

9

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 4327 औस/2009–27–एफ0/80 (वोल्यूम–।।।) दिनांकः 25 नवम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3880–औस–17/पाकालि/2000–27–एफ/80, दिनांक 22.12.2000 व कार्यालय ज्ञाप संख्या–2797–औस–17/पाकालि/03–27–एफ/80 टी0सी0, दिनांक 06.06.2003 के अनुकम में उक्त आदेशों में प्रतिपादित व्यवस्था के साथ–साथ कारपोरेशन मुख्यालय एवम् अन्य प्रशासनिक कार्यालयों (यथा प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता व लेखा इकाई के समकक्ष कार्यालय) में मृतकाश्रित के रूप में पुरूष अभ्यर्थियों को चपरासी के पद के विरूद्ध चपरासी के पद पर नियुक्त किये जाने एवम् उक्त वर्णित कारपोरेशन मुख्यालय व अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में मृतक आश्रित के रूप में चपरासी के पद के विरूद्ध नियुक्त श्रमिक पद पर कार्यरत ऐसे श्रमिकों, जो चपरासी पद की अर्हता रखते हो, को उनकी सहमति पर चपरासी का पदनाम तत्काल प्रभाव से दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्याः 4327 (1) औस/2009–तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध अपर सचिव।
2– अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपने अधीनस्थ निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त व्यवस्था से सूचित करने का कष्ट करें।
5– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8– समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– कम्पनी सचिव, पाकालि को टिप्पणी संख्या–1022 / पाकालि / बैठक(81) / 2009, नांक 19.11.2009 के सन्दर्भ में प्रेषित।

11– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org (personnel) पर लोड करने हेतु ।

12 सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

13 कट फाइल ।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 3793 औस / 2009–27–एफ0 / 80(वोल्यूम– ।।।) दिनांकः 08 अक्टूबर, 2009

कार्यालय – ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3880–औस–17 / पाकालि / 2000–27 एफ / 80, दिनांक 22.12.2000 में निहित व्यवस्थानुसार मृतकाश्रितों की नियुक्ति मात्र श्रमिक, कार्यालय सहायक–तृतीय, अथवा टेक्नीशियन ग्रेड–2(विद्युत) पद पर किये जाने का प्राविधान है।

2– एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड–2 (विद्युत) पद से (विद्युत) शब्द को विलोपित कर उक्त पद को प–4 श्रेणी के मात्र टेक्नीशियन ग्रेड–2 पद पर मृतकाश्रित को सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। तद्नुसार कारपोरेशन के आदेश संख्या–3880–औस–17 / पाकालि / 2000–27 एफ / 80, दिनांक 22.12.2000 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए उसके प्रस्तर–अ में इंगित प्रद टेक्नीशियन ग्रेड–2 (विद्युत) से (विद्युत) शब्द को विलोपित कर उक्त पद को प–4 श्रेणी के मात्र टेक्नीशियन ग्रेड–2 पद के नाम से इंगित किया जाता है। उक्त आदेश के अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 3793 (1) औ0सं0 / 2009–तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध अपर सचिव।
2– अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन) / (वितरण) / (वित्त), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर को

.....2 / –

इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपने अधिनस्थ निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संशोधन से सूचित करने का कष्ट करें

5– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

6– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन,लखनऊ।

7– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

8– समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

9– समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को टिप्पणी संख्या– 863/पाकालि/बैठक(80)/2009; दिनांक 30.09.2009 के सन्दर्भ में प्रेषित।

11– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

12– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org (personnel) पर लोड करने हेतु ।

13– सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

14– कट फाइल/पत्रावली संख्या–10(31)ए0एस0/2008 हेतु ।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि०
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं० 3880-औस-17/पाकालि/2000-27एफ/80 दि० 22 दिसम्बर 2000

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन के सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० 645-औस/पाकालि/2000-27एफ/80 दिनांक 29.3.2000 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कारपोरेशन ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् व्यवस्था प्रतिपादित की है :-

(अ) मृतक आश्रितों की नियुक्ति मात्र श्रमिक, टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) तथा कार्यालय सहायक (तृतीय) के पद पर की जायेगी।

(ब) उक्त नियुक्ति किये जाने के अनुमोदन के अधिकार महाप्रबन्धक को इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान किया गया है कि वे अनुमोदित/नियुक्ति की सूचना नियमित रूप से एवं यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

(स) पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन द्वारा सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियम/आदेश यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल

सं० 3880-1-औस-17/पाकालि/2000 तद्दिनांक,

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० ऊर्जा मंत्री जी, उ०प्र०शासन के निजी सचिव.
2. मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी, उ०प्र० शासन के निजी सचिवगण
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ
4. निदेशक (का. एवं प्र.)/वितरण/कारपोरेट प्लानिंग/पारेषण/वित्त के निजी सचिव.
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ०प्र०पा०का०लि०, 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
7. समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
8. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
10. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
11. कारपोरेशन मुख्यालय एवं लेखा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
12. श्री जे.पी. शास्त्री, उपसचिव को बैठक दिनांक 28.11.2000 के आईटम नं० 14(35)/2000 के सम्बन्ध में पारित संकल्प की अनुपालन आख्या के रूप में।

(एस. आर. जाटव)
उप महाप्रबन्धक (औस)

इ०/आ०
संशोधित
135 विनियम 13-05/9/17
देखें।

(24)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 112 – काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2017 – 68 – विनियम / 15 दिनांक 11 अगस्त, 2017

विषय :- **तकनीशियन ग्रेड–।। (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित वर्तमान अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया में संशोधन।**

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनॉक 02.08.2017 को सम्पन्न 130वीं बैठक में एजेण्डा आईटम–16 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में, तकनीशियन (ग्रेड–।।) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रतिपादित विनियमावली में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में संशोधन हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 91–विनियम एवं काविनी / पाकालि / 17–68–विनियम / 15 दिनांक 03.07.2017 *(द्वितीय संशोधन)* में निर्धारित शैक्षिक अर्हता को एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1. **शैक्षिक अर्हता**

वर्तमान अर्हता (स्तम्भ-अ)	संशोधित अर्हता स्तम्भ-अ के स्थान पर (स्तम्भ-ब)
(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में बिना ग्रेस मार्क के उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र (SCVT/NCVT) का होना आवश्यक :– (i) इलेक्ट्रीशियन (ii) इलेक्ट्रिकल (iii) इलेक्ट्रिकल *(कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण)* (iv) वायरमैन के साथ इलेक्ट्रीशियन का ब्रिजकोर्स	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र (SCVT/NCVT) का होना आवश्यक :– (i) इलेक्ट्रीशियन (ii) इलेक्ट्रिकल (iii) इलेक्ट्रिकल *(कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण)* (iv) वायरमैन के साथ इलेक्ट्रीशियन का ब्रिजकोर्स

2. उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू समझे जायेंगे एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 91–विनियम एवं काविनी / पाकालि / 17–68–विनियम / 15 दिनांक 03.07.2017 *(द्वितीय संशोधन)* उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं तकनीशियन (ग्रेड–।।) (विद्युत) सम्बन्धी विनियमावली के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्याः 112 –(1) विनियम/काविनी–29/पाकालि/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) / उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (सचि0प्रशा0) उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

11.08.17

यह आदेश सीधी भर्ती हेतु है।

(25)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 135 – विनियम एवं काविनी / पाकालि /2017–68–विनियम/2015 दिनांक: 05 सितम्बर, 2017

विषय :– टेक्नीशियन (ग्रेड–2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया एवं तकनीशियन ग्रेड–2 से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया।

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.09.2017 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार टेक्नीशियन (ग्रेड–2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया एवं तकनीशियन ग्रेड–2 से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों यथा संख्या 144 विनियम एवं औ0सं0 / पाकालि / 11–2(21)एनजीए / 04 दिनांक 04.11.2011, संख्या 72–विनियम / काविनी–29 / पाकालि / 2015–68–विनियम / 15 दिनांक 08 अक्टूबर 2015, संख्या 38–विनियम / काविनी–29 / पाकालि / 2015–68– विनियम / 15 दिनांक 28.04.2016, संख्या 91– विनियम / काविनी–29 / पाकालि / 15–68–विनियम / 15 दिनांक 03.07.2017 तथा संख्या–112–विनियम / काविनी–29 / पाकालि / 2015–68 विनियम / 15 दिनांक 11.08.2017 को अवक्रमित करते हुए एतदद्वारा निम्नानुसार प्राविधानित किया जाता है :–

टेक्नीशियन (ग्रेड–2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया:

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र (NCVT / SCVT) का होना आवश्यक :–

(i) इलेक्ट्रीशियन

(ii) इलेक्ट्रिकल

(iii) इलेक्ट्रिकल *(कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण)*

लिखित परीक्षा– तकनीशियन (ग्रेड–2) के रिक्त पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न–पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :

(1) इस भाग में NIELIT के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा, अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम–से–कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे।

द्वितीय भाग :

इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएगे अर्थात् ¼ अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी।

पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
(1) सामान्य अध्ययन व तार्किक ज्ञान	20	20
(2) सामान्य हिन्दी *(हाई स्कूल सामान्य स्तर)*	15	15
(3) सामान्य अंग्रेजी *(हाई स्कूल सामान्य स्तर)*	15	15
(4) तकनीकी विषयक ज्ञान	150	150
कुल अंक		**200**

नोट :– चयन हेतु इस द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33½% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी, जो 67 से कम अंक प्राप्त करेंगे, वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

विशेष :

4 उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अन्तिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।

5 "उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा, जिसके द्वारा अप्रैन्टिसशिप की गयी हो, यदि एक से अधिक अप्रैन्टिसशिप के अभ्यर्थी पात्र हैं, तो अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

6 परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका इस विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

तकनीशियन ग्रेड–2 से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया :–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं विभिन्न वितरण कम्पनियों में आमेलित हो चुके तकनीशियन ग्रेड–2 की कॉमन वरिष्ठता सूची तैयार करने मे आ रही विधिक कठिनाई के दृष्टिगत, तकनीशियन ग्रेड–2 के समस्त कार्मिकों को समान अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निदेशक मण्डल द्वारा, अवर अभियन्ता के पद पर लिखित परीक्षा के माध्यम से विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया सम्पन्न किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय प्रोन्नति हेतु लिखित परीक्षा की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(क) विभागीय प्रोन्नति हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरूद्ध 200 अंकों की 3 घण्टे की कम्प्यूटर आधारित चार प्रश्न प्रत्रों की परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसका प्रारूप निम्नवत् होगा :–

(1)	सामान्य हिन्दी	– 50 प्रश्न
(2)	सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	– 50 प्रश्न
(3)	तकनीकी ज्ञान	– 50 प्रश्न
(4)	कम्प्यूटर ज्ञान	– 50 प्रश्न

(ख) प्रत्येक सही उत्तर पर 01 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर पर ¼ अंक अतिरिक्त काटे जायेंगे।

विभागीय परीक्षा मे सम्मिलित होने हेतु पात्रता :-

(क) कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड–2) के पद पर स्थायी घोषित हो।

(ख) कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड–2) के पद पर 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुका हो।

(ग) न्यूनतम डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी तकनीशियन (ग्रेड–2), जो पद पर स्थायी घोषित हो चुके हों, के लिये 8.33 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की न्यूनतम अवधि 05 वर्ष की होगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि :–

(1) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण–पत्र एवं फ्रेन्चाइजी संस्थानो द्वारा ऑफ कैंम्पस विधि से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नही होंगे।

(2) गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नही होंगे।

(3) प्रोन्नति के उपरान्त, सिविल (जानपद) विधा के डिप्लोमा/डिग्रीधारी कार्मिकों को अवर अभियन्ता (जानपद) का कैडर आवंटित किया जायेगा एवं अन्य डिसिप्लिन के डिप्लोमा/डिग्रीधारी कार्मिकों को अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) कैडर आवंटित किया जायेगा।

(4) जानपद मण्डल/खण्ड के कार्यरत् कार्मिक *(यांत्रिक संवर्ग)* की उपरोक्त आधार पर अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति जानपद संवर्ग हेतु ही की जायेगी। इस प्रकार के चयन में अवर अभियन्ता (जानपद)/अवर अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन) के चयन अलग–अलग रिक्तियों के अनुसार किये जायेंगे, जिसके लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) सेवा विनियमावली–1972 भी उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 में इंगित विभिन्न श्रेणी के पदों में से श्रेणी–"प–5" के पदों यथा–केबिल ज्वाइंटर (11 के0वी0), परिचालक ग्रेड–1 (मोबाइल क्रेन) एवं परिचालक ग्रेड–1 *(पुलिंग यूनिट एवं ट्रेलर)* तथा श्रेणी–"प–6" के पदों यथा–केबिल ज्वाइंटर (33 के0वी0 एवं उच्चतर) को मृत संवर्ग घोषित किया जाता है। तदनुसार इन श्रेणियों के विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिक *(यदि कोई हो तो)* श्रेणी–"प–4" में मर्षित कर दिये जायेंगे। मर्षणोपरान्त ऐसे कार्मिकों की वरिष्ठता यथास्थान निर्धारित की जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 135 –(1) विनियम/काविनी–29/पाकालि/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (सचि0प्रशा0) उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

5.9.17
(राजेश कुमार भटनागर)
अनु सचिव (विनियम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

(27)

(28)

संख्या–2018–औस/2012–27–एफ0/80 दिनांक 5 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार का अधिसूचना संख्या–6/12/73/कार्मिक–2/2011–टी0सी0–IV, दिनांक 22.12.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवॉ संशोधन) नियमावली 2011 के नियम–2 में किये गये संशोधन को अंगीकार किये जाने का पावर कारपोरेशन ने निर्णय लिया है।

उपरोक्त अधिसूचना अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) के नियम– 2 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होगें:–	(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होगें:–
1. पत्नी या पति,	1. पत्नी या पति
2. पुत्र	2. पुत्र/दत्तक पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,	3. अविवाहित पुत्रियां अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुएँ,
4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था। परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियॉ भी सम्मिलित होगीं।	4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था। 5. ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी, परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द"कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियॉ भी सम्मिलित होंगी।

नियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

.....2/–

संख्याः 2018–(1) औस/2012 – तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।

2– निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

4– समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण क्षेत्र एवं पारेषण क्षेत्र, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

6– समस्त मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)/महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

7– समस्त उप महाप्रबन्धक (औस)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

8– उपसचिव (विनियम), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

10– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।

11– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की बैठक नब्बे (28)/12, दिनांक 15.06.2012

12– कंट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औस)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

(3)

(29)

संख्या– 2104 –औ0सं0/2013–27–एफ0/80 (VOL-I) दिनांक 11 जुलाई, 2013

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषय :–कार्यालय सहायक (तृतीय) पद पर मृतक आश्रित सेवायोजन के प्रकरणों में स्नातक आर्हता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रायः यह देखा जाता है कि मृतक आश्रित सेवायोजन के प्रकरणों में मृतक आश्रित की शैक्षिक आर्हता बी0ए0/बी0काम/बी0एस0सी0 के अतिरिक्त बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि आर्हताओं को स्नातक मानने अथवा अन्यथा के सम्बध में प्रकरण कारपोरेशन (मुख्यालय) को सन्दर्भित किये जाते है, ऐसी स्थिति में मृतक आश्रित सेवायोजन प्रदान किये जाने में विलम्ब होता है।

उक्त के दृष्टिगत मृतक आश्रित सेवायोजन के प्रकरणों के निस्तारण में स्नातक उपाधि के अर्न्तगत निम्नवत् परामर्शित किया जाता है :–

"विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 (यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त बी0ए0/बी0कॉम0/बी0एस0सी0/बी0सी0ए0/बी0बी0ए0/बी0ई0/बी0टेक आदि सभी बैचलर की उपाधियाँ "स्नातक" आर्हता समझी जाये।"

विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्थान की मान्यता के सम्बन्ध में यदि कोइ संदेह हो तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, यू0जी0सी0 (यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन) से विश्वविद्यालय व संस्थान की वैद्यता की पुष्टि अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुये मृतक आश्रित के प्रकरणो का निस्तारण करें। मृतक आश्रित सेवायोजन सम्बन्धी अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् पूर्व की भाँति प्रभावी रहेगे।

भवदीय,
(सुनील दत्त शर्मा)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्या– 2104 –(1)–औ0सं0/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक (का0प्र0 एंव प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारर्पोरेट–प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।

2– निदेशक (आपरेशन)/(प्रोजेक्ट)/(कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः/2

3– अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4– समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण/पारेषण) को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा हेतु।
5– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6– समस्त उप–महाप्रबन्धक (औद्योगिक–सम्बन्ध)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप–मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा–स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।
10– कट फाइल।

(सुनील दत्त शर्मा)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–686–औस / 2014 / 01 / ए०एस० / 2014 — दिनाँक 28 फरवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० शासन लोक सेवा प्रबन्ध अनुभाग द्वारा उ०प्र० जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 की धारा 03 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या–2198–एक–14–2010–33 (100) 2010 दिनाँक 15.01.2011 में किये गये संशोधन के सन्दर्भ में एतद्द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मृतक आश्रित सेवायोजन एवं विघुतीय दुर्घटना के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था शासकीय अधिसूचना के अनुपालन में प्रतिपादित की जाती है।

क्र०सं०	प्रकरण	निस्तारण की समय–सीमा		
		आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद)।	60 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
2.	मृतक आश्रित की नियुक्ति (सामान्य मामलों में) पर निर्णय।	90 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
3.	विद्युत दुर्घटनाओं पर भुगतान किये जाने पर निर्णय।	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस

समस्त क्षेत्रीय अधिकारीगण उक्त समय सारिणी में इंगित व्यवस्था के अनुरूप विषयगत प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें जिससे उ०प्र० जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या–2198–एक–14–2010 –33 (100) 2010 दिनाँक 15.01.2011 में किये गये संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें।

प्रबन्ध निदेशक,

संख्याः–686–औसं / 2014 तद्नुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि० मध्यॉचल–लखनऊ / पर्वान्चल–वाराणसी / पश्चिमाँचल–मेरठ म दक्षिणाँचल–आगरा एवं केस्को–कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में अनुपालन लाये जाने का कष्ट करें।

3– अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग / जाँच समिमि–प्रथम / द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

4– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

5– समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतु।

6– समस्त उप–महाप्रबन्धक (औद्योगित–सम्बन्ध)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

7– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्ध (लेखा/वित्त), उप–मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

8– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा–स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

9– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।

10– सचिव, विद्युत पेंन्शनर्स परिषद, उ0प्र0, 103–कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड़ लखनऊ।

11– संयुक्त सचिव (काविनी एवं विनियम) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

12– कट फाइल।

20.2.14

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औसं0)

(32)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14–अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

(35)

पत्र सं0– 101 – विनियम/काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/14–09–विनियम/2001(टीसी) दिनांक 10 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय लिपिकीय कर्मचारी सेवा विनियमावली–1969 (यथा संशोधित के पार्ट–III, रिक्रूटमेन्ट, के विनियम–5 एवं 11(1)–ए–मिनिस्टीरियल क्लास–III में संशोधन हेतु जारी किये गये कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 34–विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/2011–09–विनियम/2001 (टीसी) दिनांक 24.06.2011 के स्तम्भ–02 के वर्तमान प्राविधानों को, जो कि नीचे स्तम्भ–01 में अंकित हैं, में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित स्तम्भ–02 में इंगित प्राविधानों से एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

स्तम्भ–01 (वर्तमान प्राविधान) पार्ट–III, रिक्रूटमेन्ट नियम–5 एवं 11(1) ए–मिनिस्टीरियलः क्लास–III		स्तम्भ–02 (प्रतिस्थापित प्राविधान) पार्ट–III, रिक्रूटमेन्ट नियम–5 एवं 11(1) ए–मिनिस्टीरियलः क्लास–III	
पदनाम भर्ती का स्रोत/प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता	पदनाम भर्ती का स्रोत/प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता
2. सहायक समीक्षा अधिकारी 2–2. कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पद से प्रोन्नति द्वारा 40%	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की कार्यकारी सेवा।	2. सहायक समीक्षा अधिकारी 2–2. कम्प्यूटर सहायक पद से प्रोन्नति द्वारा 40%	कम्प्यूटर सहायक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की कार्यकारी सेवा।
		3. कम्प्यूटर सहायक पे–बैण्ड–1 (रु. 5200–20200 + ग्रेड–पे रु. 2600/–) 1. मृत सरकारी सेवक आश्रितों की भर्ती विनियमावली–1975 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ---- 80%	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि 2. DOEACC का 'O' लेवल प्रमाण पत्र अथवा सकमक्ष एक वर्षीय कम्प्यूटर प्रमाण पत्र 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अग्रेजी टंकण को अधिमान्यता।
		2. सम्प्रति चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से संगत विनियमावली के प्राविधानानुसार प्रोन्नति द्वारा – 20%	—

(क्रमशः......... 2)

Kavmi 'C.S. Viniyam (Letter)-16

कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पे–बैण्ड–1 (रु. 5200–20200 + ग्रेड–पे रु. 2200/–) 1. मृत सरकारी सेवक आश्रितों की भर्ती विनियमावली–1975 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा। 2. सम्प्रति चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से संगत विनियमावली के प्राविधानानुसार प्रोन्नति द्वारा।	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। 2. DOEACC का CCC प्रमाण पत्र। 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अंग्रेजी टंकण को अधिमान्यता।	विलोपित	विलोपित

2. कार्यालय ज्ञाप सं0 34–विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/2011–09–विनियम/2001 (टीसी) दिनांक 24.06.2011 एवं संगत विनियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे। कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के वर्तमान में सृजित एवं स्वीकृत 21 पद इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन की तिथि से कम्प्यूटर सहायक के पद पर परिवर्तित माने जायेंगे। इस सम्बन्ध में कार्यवाही कारपोरेशन मुख्यालय के प्रशासनिक सुधार एवं जन शक्ति अनुभाग–01 द्वारा अलग से की जायेगी।

3. मृतक आश्रित भर्ती सेवा विनियमावली–1975 के संगत प्राविधान उक्त सीमा तक स्वतः संशोधित माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 101 – (1) विनियम/कार्विनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2014 – तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड , महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि0, लखनऊ।
9. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/महाप्रबन्धक (औ0सं0)/लेखा प्रशासन, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(गिरजा शंकर श्रीवास्तव)
अनु सचिव (विनियम)

परिषदीय मृतक कर्मचारी के आश्रित को सेवायोजन हेतु आवेदन-पत्र

(परिषदीय आदेश सं0-212-जी0एस0/एस0ई0बी0-15जी0एम0-17, दिनांक 30.4.76
विज्ञप्ति सं0-1235-जी0ई0-2/रा0वि0प0-3-3/17जी0ई0-2/76, दि0 16.04.78)

भाग-1 (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाय) फोटोग्राफ हेतु

1- आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :- - - - - - - - - - - - - - - -

2- पिता का नाम :- - - - - - - - - - - - - - - -

3- आवेदित पद :- - - - - - - - - - - - - - - -

4- इकाई का नाम जहाँ मृतक कर्मचारी मृत्यु के समय कार्यरत था :- - - - - - - - - - - - - - - -

फोटो के लिए

5- आवेदक का मृतक से सम्बन्ध :- - - - - - - - - - - - - - - -

6- मृतक कर्मचारी के आश्रितों की सूची :- -

क्र0सं0	कुल संख्या आवेदक को मिलाकर	नाम	आयु	मासिक आय	आय स्रोत	यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

(क) पति/पत्नी
(ख) पुत्र
(ग) अविवाहित पुत्रियाँ
(घ) विधवा पुत्रियाँ
(जो मृतक पर पूर्णतया आश्रित हों)

7- आवेदक का विवरण :

(क) जन्मतिथि (प्रमाण पत्र सहित) :- - - - - - - - - - - - - - -
(ख) शैक्षिक योग्यता (प्रमाण-पत्र सहित) :- - - - - - - - - - - - - - -
(ग) पूर्व अनुभव (प्रमाण-पत्र सहित) :- - - - - - - - - - - - - - -
(घ) स्थाई/स्थानीय पता :- - - - - - - - - - - - - - -
:- - - - - - - - - - - - - - -

8- घोषणा - मैं - - - - - - - - - - - - - - - - - - एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मृतक कर्मचारी स्वर्गीय श्री - - - - - - - - - - - - - - - - - के परिवार के किसी भी सदस्य के उक्त कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की सेवाकाल में मृतक परिषदीय आश्रितों के आश्रितों को भर्ती नियमावली-1975 के अन्तर्गत सेवायोजन प्रदान नहीं किया गया है।

आवेदन की तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर

क्रमशः---2

टिप्पणी :– परिषदीय अधिसंरचना के अनुसार निम्नांकित को ही मृत्य कर्मचारी का परिवार समझा जायेगा तथा वे दो सेवायोजन पाने के पात्र होंगे अथवा नहीं ।

1– पत्नी/पति :– – – – – – – – – – – – – – – – –

2– पुत्र :– – – – – – – – – – – – – – – – –

3– अविवाहित या विधवा पुत्रियाँ :– – – – – – – – – – – – – – – – –

भाग–2 : किसी परिषद के अधिकारी/तहसीलदार/सम्बन्धित जिले के अधिकारी द्वारा भरा जाये।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मृतक श्री/श्रीमती– – – – – – – – – – – – – को मैं जानता तथा आवेदक – – – – – – – – – – – – – – को भी मैं जानता हूँ। इस प्रार्थना–पत्र के भाग–1 में दिये गये विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में पूर्णतया सत्य हैं।

दिनांक:

हस्ताक्षर

भाग–3 : क्षेत्रीय अधिकारियों/अधिशासी अभियन्ता एवं उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु मृतक कर्मचारी का विवरण।

1– नाम – – – – – – – – – – – – – – पद – – – – – – – – – –वेतनमान– – – – – –

2– परिषदीय सेवा में नियुक्ति की तिथि (सेवा–पुस्तिका के आधार पर) :– – – – – – – – – – – – – – – – –

3– सेवा की अवधि तथा प्रकार स्थाई/अस्थाई/कार्य प्रभारित/मस्टररोल (जैसी स्थिति हो) :– – – – – – – – – – – – – – – – –

4– मृत्यु की तिथि :– – – – – – – – – – – – – – – – –

5– मृत्यु की प्रकृति :– – – – – – – – – – – – – – – – –

हस्ताक्षर
नाम
पद/पता
कार्यालय/मोहर

टिप्पणी :– प्रत्येक भाग की प्रविष्टि स्पष्ट/पूर्णरूप से किया जाना आवश्यक है।

–(4 प्रकार)–

ADOPTION RULES

(39) = 35

ntroduction

ADOPTION in the Hindus is covered by The Hindu Adoptions Act and after the coming of this Act all adoptions can be made in accordance with this Act. It came into effect from 21st December, 1956.

Prior to this Act only a male could be adopted, but the Act makes a provision that a female may also be adopted.This Act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir.

It applies to Hindus, Buddhists, Jainas and Sikhs and to any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion

Requirements

No adoption can take place unless:

THE PERSON ADOPTING HAS THE CAPACITY / RIGHT TO TAKE CHILD IN ADOPTION

CAPACITY OF MALE

Any male Hindu, who is of sound mind and is not a minor, has the capacity to take a son or daughter in adoption. Provided that if he has a wife living, he shall not adopt except with the consent of his wife, unless his wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind. If a person has more than one wife living at the time of adoption the consent of all the wives is necessary unless the consent of one of them is unnecessary for any of the reasons specified in the preceding provision.

CAPACITY OF FEMALE

Any female Hindu

1. who is of sound mind
2. who is not a minor, and
3. who is not married, or if married, whose marriage has been dissolved or whose husband is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind,

has the capcity to take a son or daughter in adoption.

Where the woman is married it is the husband who has the right to take in adoption with the consent of the wife.

THE PERSON GIVING A CHILD IN ADOPTION HAS THE CAPACITY/RIGHT TO DO SO:

1. No person except the father or mother or guardian of the child shall have the capacity to give the child in adoption.
2. The father alone if he is alive shall have the right to give in adoption, but such right shall not be exercised except with the consent of the mother unless the mother has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.
3. The mother may give the child in adoption if the father is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.
4. **Where both the father and mother are dead or have completely and finally renounced the world or have abandoned the child or have been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind or where the parentage of the child is unknown** - the guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court. The court while granting permission shall be satisfied that the adoption is for the welfare of the child and due consideration will be given to the wishes of the child having regard for the age and understanding of the child.

The court shall be satisfied that no payment or reward in consideration of the adoption except as the court may sanction has been given or taken.

36

THE PERSON CAN BE ADOPTED

(40) X (36)

No person can be adopted unless

1. he or she is a Hindu;
2. he or she has not already been adopted;
3. he or she has not been married, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who are married being taken in adoption;
4. he or she has not completed the age of fifteen years unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who have completed the age of fifteen years being taken in adoption.

OTHER CONDITIONS FOR A VALID ADOPTION ARE FULFILLED

1. if the adoption is of a son, the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu son, son's son or son's son's son living at the time of adoption
2. if the adoption is of a daughter, the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu daughter or son's daughter living at the time of adoption;
3. if the adoption is by a male and the person to be adopted is a male, the adoptive father is at least twenty one years older than the person to be adopted;
4. if the adoption is by a female and the person to be adopted is a male, the adoptive mother s at least twenty one years older than the person to be adopted;
5. the same child may not be adopted simultaneously by two or more parents;
6. the child to be adopted must be actually given and taken in adoption with an intent to transfer the child from the family of birth.

Effect of valid adoption

1. An adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes with effect from the date of adoption.

However any property which vested in the adopted child shall continue to vest in such person subject to the obligations if any attached to the ownership of such property including the obligation to maintain relatives in the family of his or her birth.

2. Similarly the adopted child shall not divest a person of any estate which vested in him or her before adoption.
3. Subject to any agreement to the contrary, an adoption does not deprive the adoptive father or mother of the power to dispose of his or her property by transfer inter vivos or will.

The personal laws of Muslims, Christian, Parsis and Jews in India do not contain any provision of adoption. However these persons can adopt the children from orphanage by obtaining permission from the court under the Guardians and Wards Act .

Registration

The adoption deed is not required to be registered (except in Uttar Pradesh).

Except where it declares or reserves an interest worth Rs. 100 or more for a third person in an immovable property.

However authority to adopt is required to be registered under section 17(3), Indian Registration Act.

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2269–औ0सं0/2015–27 एफ/80(वो0– I) दिनांक : 25 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना सं0–6/12/73/क–2–टी0सी0–4 दिनांक 22.01.2014 द्वारा उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली–2014 के नियम–5 मे किये संशोधन को अंगीकार किये जाने का निर्णय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने अपनी 116वीं बैठक में लिया हैं।

उपरोक्त अधिसूचना अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के अश्रितों की भर्ती नियमावली–1975 (यथासंशोधित) के नियम–5 में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये विद्यमान नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित किया जाता हैं :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5–मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवाकाल में ऐसे एक सदस्य की मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के एक ऐसे सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में तृतीय श्रेणी (अवर अभियन्ता तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदो) एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो पर सेवायोजन प्रदान किया जाएगा। किन्तु प्रतेबन्ध यह हैं कि वह सदस्य :– (एक):पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो, (दो) : परिषदीय सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो और (तीन): परिषदीय सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता हैं। परन्तु जहां परिषद का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती हैं, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैं।	**5–मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती**–(1)यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी कारपोरेशन के सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत कारपोरेशन सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :– (एक): पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताऐं पूरी करता हो, परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया हैं, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नही है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो

	उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी, परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी हैं और मृतक सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नही रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण–पत्र के साथ–साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी। (दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता हैं, परन्तु जहाँ उ0प्र0 पावर कारपोरेशन का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती हैं वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हे वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैं: परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तु के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और उ0प्र0 पावर कारपोरेशन विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी। 2. जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी इकाई में दिया जाना चहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था। 3. उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। 4. जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है

	जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी हैं तो उसकी सेवायें समय–समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

37

नियमावली के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या– 2269–औ0सं0/2015, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ0प्र0 पावर ट्रांस्मीशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (आपरेशन)/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करायें।
9. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वेतन एवम् लेखा),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव , उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन विस्तार को उनके पत्र सं0–458/पाकालि/बैठक (116)/2015 दिनांक 18.06.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
15. कट फाइल ।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

आख्यापन

B.O.No. 292/WC/SEB/R/R/1174/ दि. 15/3/75 dt

508 WC/ 25/3/75

दो copy SO को दीजिये।

17/7/18